भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय

लालू नगर, मधेपुरा-852113 (बिहार)

पत्रांक P.V.C.O.-103/18 दिनांक 08/02/18

विज्ञापन संख्या–बी.एड.–01/18

आवेदन हेतु आवश्यक निर्देश

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि इस विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालयों के स्ववित्तपोषित द्विवर्षीय बी0एड0 पाठ्यक्रम सत्र 2018–20 में नामंकन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय कुलाधिपति सचिवालय के निदेशानुसार विश्वविद्यालय स्तर पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित की जायेगी। आवेदन प्रपत्र नीचे अंकित केन्द्रों के वेवसाईट से डाउनलोड कर 1000/–(एक हजार) रुपये शुल्क राष्ट्रीयकृत बैंक का डीमांड ड्राफ्ट जो **'कुलसचिव, बी0एन0एम0यू0, मधेपुरा'** **(Registrar, B.N.M.U., Madhepura)** के नाम देय के साथ दिनांक– 10.02.2018 से 10.03.2018 तक संग्रह केन्द्रों में जमा किया जा सकता है–

फार्म जमा करने की अंतिम तिथि	**– 10.03.2018**
प्रवेश–पत्र परीक्षा विभाग/संबंधित संग्रह केन्द्र से प्राप्त किया जा सकता है	**– 02.04.2018 से 18.04.2018 तक**
संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तिथि	**–22.04.2018 (11:00 पूर्वा. से 1:00 अप.)**
परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि	**–25–30 मई 2018**
नामांकन अनुचयन हेतु परामर्श (Counselling)	**- 01.06.2018 से 25.06.2018 तक**
नामांकन की अंतिम तिथि	**– 28.06.2018**
वर्गारंभ	**– 02.07.2018**

आवेदनकर्ता को–

(क) स्नातक या स्नातकोत्तर की परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होना चाहिए।

(ख) बेचलर ऑफ इंजीनियरिंग और टेकनोलॉजी में विज्ञान और गणित के साथ न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होना चाहिए।

(ग) SC/ST/OBC आवेदकों को 45 प्रतिशत अंक होने चाहिए।

(घ) नामांकन वर्ष की पहली जनवरी को न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए।

(ड.) दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थी के लिए आवेदन प्रपत्र में कोटि अंकित करते हुए प्रमाण–पत्र संलग्न अनिवार्य होगा।

Constituent & Affiliated B.Ed. Colleges under B.N. Mandal University, Madhepura.

Constituent Colleges:-	Allocated Seat
1. T.P. College, Madhepura	100
2. P.Sc.College, Madhepura	100
3. M.L.T. College, Saharsa	100
4. R.J.M. College, Saharsa	100
5. R.M. College, Saharsa	100
6. Forbisganj College, Forbisganj	100
7. D.S. College, Katihar	100

Affiliated Colleges:-	
1. M.F.A.A.B.Ed. College, Rambagh, Purnea	100
2. Swadeshi College of Educaion, Maranga, Purnea	150
3. Katihar T.T.College , Sirsa, Katihar	100
4. Seemanchal Minority B.Ed. College, Katihar	100
5. K.S.H.P.T.T.College, Nista, Katihar	50
6. Madhepura College, Madhepura	100
7. M.P. College of Education, Madhepura	100
8. S.C.Bose College of Education, Khurd , Madhepura	100
9. East N West T.T.College,Patuaha, Saharsa	200
10. Radheshyam T.T. College, Pathra, Supaul	100

Note:- यदि NCTE द्वारा भविष्य में 2018-20 सत्र के लिए किसी संस्थान को मान्यता दी जाती है तो उस संस्थान के सीटों को भी जोड़ा जा सकता है।

8/7/18

सचिव

बी.एड. नामांकन समिति

बी.एन.एम.यू., मधेपुरा

नोट : 1. अंगीभूत एवं संबंद्ध महाविद्यालयों में एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित सीटों के विरूद्ध उत्तीर्ण /सफल अभ्यर्थीयों द्वारा विकल्प के अनुरूप महाविद्यालयवार परामर्श(Counselling) सम्पन्न किये जायेगें परन्तु विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

2. आवेदन प्रपत्र सुविधानुसार चार निम्नलिखित संग्रह केन्द्रों पर दिनांक– 10.03.2018 के अपराह्न 5:00 बजे तक स्वीकार किये जायेगें–

(क) टी.पी.कॉलेज, मधेपुरा– **(www.tpcollege.org)**

(ख) एम.एल.टी. कॉलेज, सहरसा– **(www.mltcollege.org)**

(घ) पूर्णिया कॉलेज, पूर्णिया– **(www.purneacollege.in)**

3. रमेश झा महिला महाविद्यालय, सहरसा में सिर्फ महिला अभ्यर्थियों का नामांकन लिया जायेगा।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना द्वारा आरक्षण विषयक कुछ महत्वपूर्ण तथ्यः–

1. व्यक्ति विशेष की जाति का निर्धारण उसके पिता की जाति के आधार पर होता है, पति की जाति के आधार पर नहीं।
2. जाति प्रमाण–पत्र की वैधता हमेशा बनी रहती है।
3. स्थायी आवास प्रमाण–पत्र की वैधता हमेशा बनी रहती है, जबकि अस्थायी आवास प्रमाण–पत्र की वैधता निर्गत तिथि से एक वर्ष के लिए होती है।
4. आय प्रमाण–पत्र की मान्यता निर्गत तिथि से एक वर्ष के लिए होती है।
5. सत्यापन के पश्चात् अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण–पत्र अवश्य लौटा दिये जायेंगे।
6. क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र बार–बार बनवाने की आवश्यकता नहीं है। राज्याधीन सेवाओं हेतु पुराने प्रमाण–पत्र के साथ अण्डरटेकिंग देकर आवेदन दिया जा सकता है।
7. क्रीमीलेयर में नहीं आने संबंधी विहित प्रपत्र में अभ्यर्थियों से अण्डरटेकिंग प्राप्त कर पुराने क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र के आधार पर नया क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र निर्गत किया जा सकता है।
8. राज्याधीन सेवाओं में राज्य के मूल निवासी को ही आरक्षण देय है।
9. दिव्यांगजनों को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति में 4 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय है।
10. स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति में 2 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय है।
11. महिलाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति में 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय है।

डब्ल्यू0बी0सी0(पिछड़े वर्गो की महिला) का तात्पर्य है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की महिला, इसे सरकारी सेवाओं में नियुक्ति में 3 प्रतिशत उर्ध्वाधर आरक्षण देय है, जो 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के अतिरिक्त है।